न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा राज0

बईलजास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस0)

मु.नं. 36/19

मोहनलाल पुत्र किशनलाल जाति धाकड निवासी ग्राम बंबूलिया कटारिया तहसील सांगोद हाल मुका छीपा चौराहा के पास धूलेट रोड कनवास तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान

........वादी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र किशनलाल जाति धाकड निवासी बंबूलिया कटारिया तहसील सांगोद हाल मुकाम पुराने गढ के पास राजपूत कोलोनी चौथमाता मन्दिर के पास अनन्तपुरा जिला कोटा राजस्थान
2. जगदीश पुत्र स्व0 किशनलाल जाति धाकड निवासी बंबूलिया कटारिया तहसील सांगोद हाल मुकाम पुराने गढ के पास राजपूत कोलोनी चौथमाता मन्दिर के पास अनन्तपुरा जिला कोटा राजस्थान मोबाईल नम्बर–9672976027
3. ममता पत्नी हंसराज जाति धाकड निवासी बंबूलिया कटारिया तहसील सांगोद हाल मुकाम पुराने गढ के पास राजपूत कोलोनी चौथमाता मन्दिर के पास अनन्तपुरा जिला कोटा राजस्थान
4. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर वर्तमान नाम एस.बी.आई बैंक शाखा सांगोद जिला कोटा जर्ये शाखा प्रबन्धक
5. इंडसइंड बैंक शाखा कोटा (घोडे वाले बाबा चौराहा के पास शोपिंग सेन्टर कोटा)
6. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान

................प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0एक्ट

वादी की ओर से एडवोकेट श्री ओमप्रकाश शर्मा
प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 की ओर से एडवोकेट श्री महेश कुमार तिवारी

निर्णय

दिनांकः– 19.12.2022

प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि वादी द्वारा ग्राम बंबूलिया कटारिया पटवार हल्का विनोद खुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा के खसरा नम्बर 318 की 0.83 है0, खसरा नम्बर [illegible] 93 है0, खसरा नम्बर 472 की 0.42 है0, खसरा नम्बर 523 की [illegible] है0, खसरा नम्बर 524 की 0.75 है0 तथा खसरा नम्बर 533 की 0.75 है0 [illegible] 6 की कुल रकबा 3.69 है0 आराजीयात स्थित होना, [illegible] का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी कम 1 ओमप्रकाश का 3/10 हिस्सा, प्रतिवादी कम 2 जगदीश का [illegible] हिस्सा तथा प्रतिवादी कम 3 ममता का 1/5 हिस्सा जमाबन्दी मे [illegible] है। उक्त आराजीयात वादी व प्रतिवादी कम 1 व 2 को उत्तराधिकार मे प्राप्त होना व प्रतिवादी कम 1 व 2 ने अपनी सगी बहिन नन्द कवंर बाई को धोखे मे रखकर अपने पक्ष मे दिनांक 23.02.2016 को रिलीज डीड निष्पादित करवा करके अपने खाते दर्ज करवाना तथा बहिन जशोदा बाई

.....2

उपखण्ड मजिस्ट्रेट

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 15:17:56 IST
Reason: SelfAttested

से दिनांक 29.08.2017 को प्रतिवादी कम 3 ममता के पक्ष मे विक्रय विलेख निष्पादित करवाकर अवैध रूप से खाते दर्ज करवा ली। पारिवारिक विभाजन मे वादी के हिस्से मे खसरा नम्बर 533 की 0.75 है0 आराजी विभाजन मे आना जिसको प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 वादी काश्त करने मे व्यवधान उत्पन्न करने से वादी ने वादग्रस्त आराजीयात मे से अपना 1/5 हिस्से के अनुसार खसरा नम्बर 533 की 0.75 है0 आराजी का विभाजन कर पृथक से वादी के खाते दर्ज करवाने विकल्प मे वादी के 1/5 हिस्से बाइ मीट एण्ड बाउण्ड के आधार पर अच्छी मे से अच्छी, बुरी मे से बुरी आराजीयात का विभाजन करवाने के लिये प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया जो दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर तलवी प्रतिवादीगण की गई।

प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 की तरफ से एडवोकेट महेश कुमार तिवारी ने वकालत नामा प्रस्तुत किया व दिनांक 19.12.2022 को वादी व प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जो पक्षकारा मुकदमा ने स्वीकार करने पर तस्दीक किया गया है। मुताबिक राजीनामा खसरा नम्बर 533 की 0.75 है0 आराजी वादी मोहनलाल के पृथक से खाते मे रहेगी जिस पर वादी काबिज है। प्रतिवादी कम 1 ओमप्रकाश के हिस्से मे खसरा नम्बर 524 की 0.75 है0 तथा खसरा नम्बर 523 की 0.01 है0 कुल किता 2 की 0.76 है0 आराजीयात रहेगी। प्रतिवादी कम 2 जगदीश व प्रतिवादी कम 3 ममता बाई के खसरा नम्बर 318 की 0.83 है0, खसरा नम्बर 465 की 0.93 है0 तथा खसरा नम्बर 472 की 0.42 है0 कुल किता 3 की 2.18 है0 आराजीयात रहेगी। उक्त आराजीयात पर पक्षकार मुकदमा के हिस्से मे आये आराजीयात संबधित बैंक का भार दर्ज किया जाकर मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया।

हमने वाद पत्र प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन कर विभाजन डिक्री पारित किये जाने से राजहित प्रभावित नही होने से मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

वादी का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बंबूलिया कटारिया पटवार हल्का विनोद खुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान के खसरा नम्बर 533 की 0.75 है0 आराजी वादी मोहनलाल के पृथक से खाते मे, प्रतिवादी कम 1 ओमप्रकाश के हिस्से मे खसरा नम्बर 524 की 0.75 है0 तथा खसरा नम्बर 523 की 0.01 है0 कुल किता 2 की 0.76 है0 तथा प्रतिवादी कम 2 जगदीश व प्रतिवादी कम 3 ममता बाई के खसरा नम्बर 318 की 0.8[illegible] खसरा नम्बर 465 की 0.93 है0 तथा खसरा नम्बर 472 की 0.42 [illegible] कुल किता 3 की 2.18 है0 आराजीयात पृथक से खाते दर्ज किये जाने [illegible] लगान दर्ज किये जाने तथा बैंक का ऋण पक्षकार मुकदमा के हिस्से मे आने वाली आराजीयात पर रहन भार दर्ज किये जाने के [illegible]देश पारित किये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 15:17:56 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 19.12.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

राजेश डांगा (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी कनवास

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा राज0

वईलजास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस0)

मु.नं. 36/19

मोहनलाल पुत्र किशनलाल जाति धाकड निवासी ग्राम बंबूलिया कटारिया तहसील सांगोद हाल मुका छीपा चौराहा के पास धूलेट रोड कनवास तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान

........वादी

वनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र किशनलाल जाति धाकड निवासी बंबूलिया कटारिया तहसील सांगोद हाल मुकाम पुराने गढ के पास राजपूत कोलोनी चौथमाता मन्दिर के पास अनन्तपुरा जिला कोटा राजस्थान
2. जगदीश पुत्र स्व0 किशनलाल जाति धाकड निवासी बंबूलिया कटारिया तहसील सांगोद हाल मुकाम पुराने गढ के पास राजपूत कोलोनी चौथमाता मन्दिर के पास अनन्तपुरा जिला कोटा राजस्थान मोबाईल नम्बर–9672976027
3. ममता पत्नी हंसराज जाति धाकड निवासी बंबूलिया कटारिया तहसील सांगोद हाल मुकाम पुराने गढ के पास राजपूत कोलोनी चौथमाता मन्दिर के पास अनन्तपुरा जिला कोटा राजस्थान
4. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर वर्तमान नाम एस.बी.आई बैंक शाखा सांगोद जिला कोटा जर्ये शाखा प्रबन्धक
5. इंडसइंड बैंक शाखा कोटा (घोडे वाले बाबा चौराहा के पास शोपिंग सेन्टर कोटा)
6. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान

................प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0एक्ट

मुकदमा नम्बर 36/19 तारीख फैसला 19.12.2022 न्यायालय व इजलास श्री राजेश डागा उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी कनवास बहाजरी वादी एडवोकेट श्री ओमप्रकाश शर्मा मिजानिब मुदई व प्रतिवादी कम 1 लगायत 3 की ओर से एडवोकेट श्री महेश कुमार तिवारी व प्रतिवादी कम 6 राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार सांगोद मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अन्तिम डिकी पारित की जाती है कि ग्राम बंबूलिया कटारिया पटवार हल्का विनोद खुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान के खसरा नम्बर 533 की 0.75 [illegible] जी वादी मोहनलाल के पृथक से खाते मे, प्रतिवादी कम 1 ओमप्रकाश [illegible] हिस्से मे खसरा नम्बर 524 की 0.75 है0 तथा खसरा नम्बर [illegible] कुल किता 2 की 0. 76 है0 तथा प्रतिवादी कम 2 जगदीश व प्रतिवादी कम 3 ममता बाई के खसरा नम्बर 318 की 0.83 है0, खसरा न[illegible] 465 की 0.93 है0 तथा खसरा नम्बर 472 की 0.42 है0 कुल किता 3 की 2.18 है0 आराजीयात पृथक से खाते दर्ज किये जाने व पृथक से लगान दर्ज किये जाने तथा बैंक का ऋण पक्षकार मुकदमा के हिस्से मे आने वाली आराजीयात पर रहन भार दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 15:17:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है नीज.........मुबलिग............बाबत........ खर्चा इस मुकदमे का मय सूद व शरह...................फीसदी सालाना आज की तारीख मे तारीख वसूलयाबी तक................अदा करे।

बसबब मेरे दस्तखत व महर अदालत के आज तारीख 19.12.2022 माह दिसम्बर को जारी की गई।

महर..

राजेश डागा
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
उपखण्ड अधिकारी कनवास
सांगोद (कोटा)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	निल		स्टाम्प वकालतनामा	निल	
स्टाम्प वकालतनामा	निल		स्टाम्प अर्जी	निल	
स्टाम्प वजह सबूत	निल		महनताना वकील	निल	
महनताना वकील	निल		खर्चा गवाहान	निल	
खर्चा गवाहान	निल		फीस कमिश्नर	निल	
फीस कमिशनर	निल		बाबत इजराय हुकमनामा	निल	
बाबत इजराय हुकमनामा	निल		मुतफर्रिक.	निल	
मुतफर्रिक	निल		मीजान	निल	
मीजान					

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नही। दर्ज करना चाहिये ।

राजेश डागा
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
उपखण्ड अधिकारी कनवास
सांगोद (कोटा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.11 15:17:56 IST
Reason: SelfAttested